सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मोरमुगाव पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1993 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी.आर.-12012/24/92-पी.ई.]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

मोरमुगाव पत्तन न्यास अनुसूची

प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124(1) तथा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोरमुगाव पत्तन न्यास के न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:—

1 (1) इन विनियमों को मोरमुगाव पत्तन कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1993 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2 विनियम 4 का संशोधन :

विद्यमान खंड (4) (3) के बाद निम्नलिखित खंड (4) को जोड़ा जाए :—

खंड (4) : इस विनियम के उद्देश्य के लिए कोई गतिविधि या कार्यकलाप के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

मूल विनियम

मंडल द्वारा मंडल के संकल्प सं 5 दिनांक 24/7/64 के अंतर्गत अनुमोदन। मंत्रालय का पत्र सं पीजी (18)/64 दि 4/9-1964

हाल ही के संशोधनों का संदर्भ :

(1) सा.का.नि. संख्या 668 (ई) दि. 1-6-88

फाईल सं. पी.आर-12013/7/88-पीई-1 दिनांक 1/6/88

(2) सा.का.नि संख्या 878(ई) दिन. 4/10/1989

फाईल सं. पीआर-12013/7/88-पीई-1 दिनांक 4/10/89

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 1993/फाल्गुन 4, 1914
No. 62] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 1993/PHALGUNA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1993

सा.का.नि. 81(अ).—भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 उपखंड (1) दिनांक 30 मार्च, 1991 के पृष्ठ 881 से 887 पर प्रकाशित भारत सरकार, नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की दिनांक 13 मार्च, 1991 की अधिसूचना, जी. एस. आर. संख्या 218 की